

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2207/2021

मैसर्स श्री लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, जी-148-149 बृज औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर,
अपने भागीदार श्री नीरज बंसल पुत्र श्री महेश चंद, आयु 52 वर्ष, निवासी
200, एसपीएम नगर, भरतपुर के माध्यम से।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- भारत संघ, सचिव, वित्त विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।
- मुख्य आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, स्टैच्यू सर्कल, सी स्कीम, जयपुर।
- आयुक्त, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, कर भवन, अंबेडकर सर्कल, जयपुर।
- सहायक आयुक्त, राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर विभाग, सर्किल-बी, भरतपुर।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री पंकज घिया,
सुश्री परिधि जैन और श्री मयंक
व्यास

प्रतिवादी के लिए : श्री किंशुक जैन, श्री सौरभ जैन के साथ

श्री आयुष सिंह और श्री अजय सिंह
राठौड़, श्री पुनीत सिंघवी के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

04/07/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका याचिकाकर्ता के वापसी आवेदन को अस्वीकार करने वाले दिनांक 30.12.2020 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है। याचिका में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 54 की वैधता को चुनौती दी गई है, लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान वकील वैधता पर जोर नहीं दे रहे हैं।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने 12.12.2020 को जुलाई, 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए वापसी की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। आवेदन को निर्धारित समय सीमा के बाद दायर होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था।
3. यह ध्यान देना उचित होगा कि अधिनियम की धारा 54 के तहत, वापसी के लिए आवेदन संबंधित तिथि से दो साल के भीतर, निर्धारित तरीके से दायर किया जाना है। वर्तमान मामले में, संबंधित तिथि मार्च, 2018 है। अधिनियम की धारा 54 के अनुसार, आवेदन मार्च, 2020 तक किया जा सकता था।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2020 में दिनांक 10.01.2022 के आदेश के माध्यम से आदेश

दिया कि 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित सीमा के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 05.07.2022 को एक परिपत्र जारी किया। परिपत्र का खंड (iii) नीचे उद्धृत किया गया है:-

"(iii) उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के तहत वापसी आवेदन दाखिल करने के लिए सीमा अवधि की गणना के लिए 1 मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2022 तक की अवधि को बाहर करता है।"

6. आवेदन के निर्णय के बाद जारी किए गए परिपत्र के अनुसार, 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को बाहर रखा जाना है। तदनुसार, विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को प्रतिवादियों को वापस भेजा जाता है ताकि वे कानून के अनुसार नए सिरे से आवेदन पर निर्णय लें। यह देखते हुए कि वापसी का दावा 2017-2018 के लिए है, यह सराहना की जाएगी यदि प्रतिवादी आवेदन पर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लेने का एक गंभीर प्रयास करें।

7. याचिका स्वीकार की जाती है।

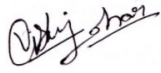
(आशुतोष कुमार),जे

(अवनीश झिंगन),जे

मोनिका/आरजू/56

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़